शताब्दी अन्न कलश योजना

योजना का उद्देश्य - राज्य में निवास करने वाले निर्धन, वृद्ध, विकलांग विधवा निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के बीच भुखमरी की घटना की रोकथाम करना हैं |

योजना की पात्रता - आघातयोग वैसे परिवार / व्यक्ति जो संसाधन विहीन हो तथा उनके पास आजीविका का कोई साधन न हों या जो उनके नियंत्रण से परे हालातों के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से अक्षम बना दिये गये हों |

योजनान्तर्गत लाभ -अघातयोग्य परिवारों को कोई व्यक्ति यदि भुखमरी की स्थिति मे पाया जाता है तो उसे दो चरणों मे चार सप्ताह तक 10 किलो ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह तथा 7 किलो ग्राम प्रति अवयस्क प्रति सप्ताह खाधान्न उपलब्ध कराया जायेगा |

- प्रथम सप्ताह मुखिया / वार्ड पार्षद के निर्देशानुसार सम्बंधित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से
- प्रथम सप्ताह के बाद आवश्यकतानुसार अगले तीन सप्ताह तक प्रखंड पदाधिकारी / अंचलाधिकारी के निर्देशानुसार |
- चार सप्ताह के भीतर ही प्रभावित व्यक्ति /परिवार को सरकार के किसी कल्याणकारी योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा यदि ऐसा नहीं हों पाता हैं तो आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी चार सप्ताह के उपरान्त भी खाधान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकती हैं |

कार्यान्वयन एजेंसी- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत , नगरीय क्षेत्रों मे सम्बंधित वार्ड पार्षद , प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी | खाधान्न चिन्हित जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा |

किससे संपर्क करे - ग्राम पंचायत के मुखिया, नगरीय क्षेत्रों मे पार्षद ,प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी , जिला पदाधिकारी एवं आपदा प्रबधंन विभाग बिहार | आपदा प्रबंधन का दूरभाष संख्या 0612 2217305 पर संपर्क कर सकते हैं |